निगम में ठेकेदारों के श्रधीन 4006 श्रमिक काम करते हैं।

(ख) कोयले के लदान भ्रौर परिवहन कार्य में लगे टेकेदारों के 1775 श्रमिक कोयला मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों का लाभ प्राप्त करते हैं। सिविल निर्माण कार्यों में काम करने वाले शेष 2231 श्रमिक इस प्रकार के लाभ प्राप्त नहीं करते।

Designing and Engineering of Steel Plants by Central Engineering and Design Bureau of Hindustan Steel Ltd.

7099. SHRI P. GANGADEB: SHRI PRABHUDAS PATEL:

Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

- (a) whether the Central Engineering and Design Bureau of Hindustan Steel Ltd. is to be made a separate Organisation dealing exclusively with designing and Engineering of steel plants;
- (b) if so, the time by which the final decision in this regard is likely to be taken; and
- (c) how far this proposal will be helpful?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI SHAHNAWAZ KHAN): (a) A proposal to convert the Central Engineering and Design Bureau of Hindustan Steel Ltd. into a separate Company is presently under consideration.

- (b) A final decision in the matter is likely to be taken in the near future.
- (c) In the context of its present enlarged activities and future role, the object of the proposed conversion under consideration is to enable the Bureau to work more effectively as a Consultancy Organisation.

मध्य प्रदेश में कारखानों अथवा कम्पनियों द्वारा कर्मत्रारी भविष्य निधि का दृष्पयोग

7100. डा॰ लक्ष्मीनारायण पांडे: क्या अस श्रीर पुनर्वांस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में ऐसे कारखानों श्रीर

कम्पिनयों की सख्या कितनी है जिनके विरुद्ध सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि में समय पर अपने भाग का अशदान करने या उक्त निधि का व्यक्तिगत कार्य के लिये दुरुपयोग करने के कारण कार्यवाही की है;

- (ख) उक्त कम्पनियों के नाम क्या हैं; ग्रीर
- (ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम ग्रौर पुनर्वास मंत्री (श्री ग्रार० के० खाडिलकर) (क) से (ग). कर्मचारी भविष्य निधि की व्यवस्था का सम्बन्ध केन्द्रीय न्यासी बोर्ड से है जो कर्मचारी भविष्य निधि ग्रीर परिवार पेंशन निधि ग्रधिनियम 1952 के म्रधीन स्थापित किया गया है और इससे केंद्रीय सरकार का सीधा सम्बन्ध नहीं है। भविष्य निधि प्राधिकारियों द्वारा भेजा गया एक विव-ररा. जिसमें मध्य प्रवेश के ऐसे छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों के नाम दिए गए हैं जिनकी श्रोर 31-3-1971 को एक लाख ग्रौर इससे ग्रधिक रुपये की भविष्य निधि की राशि बकाया थी तथा जिसमें उस राशि को वसूल करने हेत् की गई कार्यवाही विशात है, सभा पटल पर रखा है। ग्रिन्धालय में रखा गया। देखिये संख्या LT-816/71]

बंगला देश से भारी संख्या में श्राये शरणार्थी

7101. डा॰ लक्ष्मीनारायण पाँडे: श्री प्रबोध चन्द्र:

क्या श्रम भ्रोर पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या बंगला देश से अब तक लगभग 70 लाख शरगार्थी भारत में प्रवेश कर चुके हैं;
- (ख) इन शरगार्थियों को किन-किन राज्यों में भेजा जा रहा है;
 - (ग) इन शरणाधियों को ठहराने के लिए